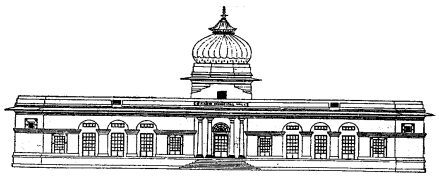

बीकानेर नगर निगम

vLFkk;h vf/kHkkx o vfrNkt u mifof/k;k&2010

राजस्थान नगर निगम अधिनियम 2010 (राजस्थान अधिनियम 18 सन् 2010) की धारा 340 की उपधारा (1) खण्ड(ए) व (टी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर नगर निगम एतद्द्वारा निम्नलिखित उपविधियॉ बनाती है, नामतः

(1)शीर्षक, सीमा तथा प्रभावः–

1. ये उपविधियॉ बीकानेर नगर निगम (अस्थायी अधिभोग व अतिछाजन) उपविधियॉ 2010 कहलायेगीं।
2. ये उप विधियॉ बीकानेर नगर निगम की सीमा में प्रभावशील होंगी।
3. ये उप विधियॉ तुरंत प्रभावशील होगी।

(2) परिभाषायेंः–

जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न आती हो, इन उप विधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषायें निम्न प्रकार होगी। इनके अतिरिक्त प्रयुक्त अन्य शब्दों की परिभाषायें वही होगी जो अधिनियम में व्यवहृत है–

1. 'अधिनियम' अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (राजस्थान 18 सन् 2010) से है।
2. अतिछाजन से तात्पर्य नगर परिषद् भूमि पर निर्माण के किसी भी भाग पर धुप, वर्षा आदि के रक्षार्थ लटकते हूए अस्थाई छाजन से है जिसमें बरसाती, बोर्ड परदे आदि सम्मिलित है।
3. अध्यक्ष से अभिप्रेत है महापौर
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी से अभिप्रेत मुख्य कार्य पालक अधिकारी एवं आयुक्त।
5. 'अनुज्ञाधारी' से तात्पर्य है लाइसेंस के धारक से है तथा उसमें उसके अभिकर्ता, प्रतिनिधि व अन्य कर्तव्यस्थ सेवक से सम्मिलित है।
6. 'लाइसेंस' से तात्पर्य इन विधियों के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले या प्रदान किये गये अनुज्ञापत्र से है।
7. 'अनुज्ञा अधिकारी' से तात्पर्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी से है।
8. 'अस्थायी अधिभोग' से तात्पर्य नगर परिषद् में निहित किसी मार्ग, नाली, नहर या अन्य भूमि को लाइसेंस के द्वारा पूर्णतः अस्थाई अधिवास हेतु दिये जाने से है। जैसे हाट बाजार सब्जी विक्रेता ठेले वाले, सर्कस नुमाइश आदि के लिये, जिसकी अवधि किसी भ्ज्ञी अवस्था में 1 वर्ष से अधिक नही होगी।
9. निगम से तात्पर्य बीकानेर नगर निगम से है।
10. प्रपत्र से तात्पर्य इन उपविधियों के साथ संलग्न प्रपत्र से है।
11. परिशिष्ट से तात्पर्य इन उपविधियों के साथ संलग्न परिशिष्ट से है।
12. स्वामी से काबिज, अधिवासी, व्यवस्थापक अथवा अभिकर्त्ता सम्मिलित है।

(3) निगम में निहित भूमि आदि के उपयोग में प्रतिबंध :–

(1) नगर निगम में निहित किसी मार्ग, नाली, नहर या अन्य भूमि पर कोई भी व्यक्ति अनुज्ञा प्राधिकारी से लाईसेंस प्राप्त किये बिना कोई सामान अथवा मलबा जमा नही करेगा एवं उस पर किसी प्रकार का निर्माण नही करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति नगर निगम की सीमा में किसी खुली सार्वजनिक भूमि पर चारा, चुना, कली, पत्थर, ईटें, बजरी व भवन निर्माण के लिये अन्य सामग्री जमा करने एवं किसी व्यापार, सिनेमा, नाटक, सर्कस, प्रदर्शनी व तमाशे व किसी भी अन्य उपयोग में बिना अनुज्ञा प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त किये प्रयोग में नही ला सकेगा।

(4) ***vuKki= d fy, ikFkuk&i=%&***

1. कोई भी अनुज्ञार्थी निगम में निहित किसी भूमि अथवा किसी मार्ग, स्थान, नाली, नहर की अस्थाई अधिभोग पर पर लेने एवं किसी भी प्रकार के निर्माण, भवन या दुकान के आगे कोई अतिछाजन लगाने की अपेक्षा करता है, वह प्रपत्र में अनुज्ञा प्राधिकारी को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।
2. खण्ड (1) में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित भूमि, मार्ग स्थान, नाले, नहर, भवन, दुकान आदि का पूर्ण विवरण देते हूए एक मानचित्र तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेगा। जितनी भूमि की अपेक्षा की गई हो उसका प्रार्थना पत्र में स्पष्टता उल्लेख किया जावेगा।

(5) ***vuKk ikf/kdkjh dk fu.k;&***

1. उप विधि 4 के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञा प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित स्थल को अस्थायी अधिभोग या अतिछाजन के रूप में अनुमति किये जाने पर वह जन–जीवन व स्वास्थय के लिये हानिकारक व असुविधाजनक नही होगा तथा ऐसे स्थल के अपेक्षित उपयोग से किसी प्रकार का कोई अनुत्रास उत्पन्न नही होगा।
2. अनुज्ञा–प्राधिकारी अपने आपको पूर्णतया संतुष्ट कर लिये जाने के बाद स्थल का शुल्क अग्रिम जमा कराये जाने हेतु आदेश देगा तथा अनुज्ञार्थी द्वारा इन उपविधियों में निर्धारित शुल्क अग्रिम रूप में जमा कराये जाने के पश्चात लाइसेंस जारी करेगा।
3. लाइसेंस की अवधि अधिकतम 1 वर्ष की होगी जो प्रत्येक अवस्था में 31 मार्च को समाप्त हो जावेगी। अवधि समाप्त होने पर लाइसेंस का नवीनीकरण नही किया जावेगा। अनुज्ञार्थी को नये लाइसेंस के लिए उपविधि 4 के अनुसार नया प्रार्थना पत्र भरना होगा।

(6) ***Lokeh }kjk lkeku vFkok eyc dk vLFkkb :i l tek fd;k tkuk%&***

1. निगम में निहित किसी मार्ग, नाली, नहर या अन्य भूमि पर अस्थाई रूप से सामान अथवा मलबा जमा करने पर परिशिष्ट में अंकित शुल्क लिया जायेगा जो अग्रिम रूप से भुगतान योग्य होगा।
2. ऐसे किसी मार्ग या स्थान पर जो पैदल चलने वाले व्यक्तियों तथा वाहनों के लिए निर्धारित हों, वहॉ जमा किए हुए किसी सामान अथवा मलबे द्वारा स्थाई आने जाने वालों के लिए कोई खतरा न हो, एतदर्थ उचित रक्षात्मक व्यवस्था करेगा। यदि स्वामी ऐसे रक्षात्मक व्यवस्था करने में असफल रहे तो निगम उसके ऊपर एक सुचना पत्र तामील करवायेगा, जिसके द्वारा उसको सूचना–पत्र प्राप्ति के 24 घण्टे के भीतर भीतर ऐसी व्यवस्था करने का आदेश देगा और उसमें यह भी उल्लेख

करेगा कि यदि सूचना पत्र का पालन निर्धारित समयावधि में नही करेगा तो निगम उस कार्य को स्वामी के व्यय से करवायेगा। जो व्यवस्थ की जानी हो उसकी सूचना, पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जावेगा।

3. यदि उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति के 24 घण्टे पश्चात् स्वामी उक्त निर्दिष्ट व्यवस्था करने मे या यह कारण बताने में कि ऐसी व्यवस्था क्यो नही की जानी चाहिए, असफल रहा तो निगम द्वारा अधिकृत निगम का अन्य कर्मचारी तत्काल सूचना पत्र में र्निदिष्ट की गई व्यवस्था कर देगा और उसका व्यय स्वामी से वसूल करेगा। स्वामी को उसके द्वारा बिल प्राप्ति के पश्चात सात दिन के भीतर भीतर यह कारण जो निगम को विश्वास हो, बताने का अवसर दिया जावेगा कि जो व्यवस्था की गई है वह अनावश्यक है और यदि निगम को विश्वास हो जावे तो व्यय की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नही की जावेगी जारी रखी जावेगी और यदि कोई राशी वसूल कर ली गई हो तो वह स्वामी को वापिस लौटा दी जावेगी।

(7) lkoZtfud ekxksa ij i.Mky vFkok vU; vLFkkbZ fuekZ.k&

1. धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, विवाह, उत्सव या अन्य प्रयोजनार्थ किसी भी सार्वजनिक मार्ग या भूमि पर अनुज्ञा प्राधिकारी को लिखित आज्ञा बिना कोई भी अस्थाई दरवाजा, पण्डाल अथवा अस्थाई निर्माण खड़ा नही किया जावेगा।
2. खण्ड (1) में वर्णित निर्माण की अनुमति हेतु अनुज्ञार्थी प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञा प्राधिकारी को यदि उसके विषय में कोई भी आपत्ति नही हों तो ऐसी शर्तो पर जो कि जन सुविधा अथवा सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे, परिशिष्ट में निर्धारित शुल्क अग्रिम भुगतान करने पर अनुज्ञा देगा।
3. साधारण तौर पर कोई अस्थाई दरवाजा, पण्डाल या अन्य अस्थाई निर्माण अधिनियम की धारा 203(4) के अनुसार 4 दिन से अधिक के लिए खड़ा नही किया जावेगा।
4. यदि अनुज्ञा पत्र के स्वीकृत समय की साप्ति पर वह व्यक्ति जिसने निर्माण खड़ा किया है, इस निर्माण को नही हटाता है तो निगम ऐसे समय में जो भी उसके द्वारा प्रत्येक मामले में निश्चित किया जावे, उस निर्माण को हटाने के लिए दोषी व्यक्ति को नोटिस देगा और इस प्रकार निश्चित किए गए समय की समाप्ति पर परिषद् उस निर्माण को हटवा देगा तथा उसके हटाए जाने की लागत दोषी व्यक्ति से वसूल की जावेगी।
5. जो पण्डाल धार्मिक या सार्वजनिक उपयोग के प्रयोजनार्थ बनाये जावें उनके विषय में बिना शुल्क स्वीकृति दी जा सकेगी ।

(8) vU; okf.kT;d iz;kstukFk Hkfe dk vLFkkbZ vf/kokl ij fn;k tkuk&

1. नगर निगम में निहित भूमि या राजकीय भूमि जो नगर निगम के निष्पादन पर रखी गई है, को अन्य वाणिज्यक प्रयोजनार्थ लाइसेंस के आधार पर अस्थाई अधिभोग पर दिए जाने हेतु अधिकार अनुज्ञा प्राधिकारी अथवा निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
2. उक्त भूमि केवल सार्वजनिक नीलाम द्वारा ही अस्थाई अधिभोग पर दी जा सकेगी। नींलामी की शर्ते निगम द्वारा तय की जावेगी। उच्चतम बोली दात द्वारा 31 मार्च तक का शुल्क अग्रिम रूप से जमा करवाया जा सकेगा। यदि अनुज्ञाधारी वर्ष का शुल्क अग्रिम रूप से देने में असफल रहा है तो उसके द्वारा प्रतिदिन 2/– रू. मीटर की दर से अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
3. यदि नगर निगम किसी भी समय उक्त भूमि को रिक्त करवाना चाहे तो अनुज्ञाधारी को एक माह का पूर्व नोटिस देकर भूमि रिक्त करवा सकेगा। यदि अनुज्ञाधारी एक

माह की अवधि के पश्चात् उक्त भूमि को रिक्त नही करता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जावेगा। ऐसा व्यक्ति भूमि पर अतिक्रमणकारी समझा जावेगा तथा उसके विरूद्ध नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

4. खण्ड (2) में अस्थायी अधिभोग पर दी गई भूमि पर किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण नही करवाया जा सकेगा।

(9) *Qy] lCth vkfn dk fod; dju gr lkotfud ekxk dk mi;kx%&*

1. ऐसे सार्वजनिक मार्गो पर जो भी निर्दिष्ट किये जावें तथा फल, सब्जी, कपड़ा, पान, आदि के गट्ठे तथा अन्य कोई भी सामान विक्रय करने के लिये दैनिक अनुज्ञा पत्र दिया जा सकेगा। ऐस उपभोग के लिये अनुज्ञा पत्र परिशिष्ट में निर्धारित शुल्क अग्रिम रूप में वसूल किया जा कर दिया जावेगा। परंतु शर्त यह है कि सार्वजनिक मार्गो पर उपरोक्त अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा तब ही प्रदान किया जा सकेगा जबकि उससे जनता को किसी प्रकार की असुविधा या अनुत्रास न हो।
2. कोई भी व्यक्ति जो किसी क्षेत्र के उपयोग करने के लिये अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना चाहता है तथा तदुपरांत अधिकृत से अधिक स्थान का उपयोग कर लेता है तो इस प्रकार के उपयोग में लिये गये अधिक क्षेत्र के लिये ऐसी रकम का भूगतान करने का भागी होगा जो इस प्रकार उपयोग किये गये क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग मीटर के लिये 50 रू/माह की दर से होगा।

(10) *nqdkuks o Hkouks d vkx dh Hkfe dk vLFkkbZ vfHk;kx ij fn;k tkuk%&*

1. सिनेमा, सर्कस, नाटक, तमाशें, प्रदर्शनियों अन्य किसी प्रकार के मंनोरजन या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये भूमि निगम की अनुमति से अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा अस्थाई रूप से किराये पर दी जा सकेगी।
2. भूमि का किया दैनिक रूप से वसूली योग्य होगा एवं अग्रिम रूप में भुगतान किया जावेगा।
3. किराया परिशिष्ट में निर्धारित दर से वसूल किया जावेगा।

(11) *nqdkuks ,o Hkouks d vkx dh Hkfe dk vLFkkbZ vf/kHkkx ij fn;k tkuk%&*

1. दुकानों के आगे की भूमि जो पटरी के रूप में हो, परिशिष्ट में निर्धारित शुल्क प्राप्त किया जाकर अस्थाई अधिभोग हेतु दी जा सकेगी, किंतू ऐसी भूमि को अस्थाई अधिभोग पर दिये जाने से किसी प्रकार की असुविधा न हो।
2. भवनों के सामने की पटरी की भूमि पर तख्त या पाटा रखे जाने हेतु भूमि अस्थाई अधिभोग हेतू दी जा सकेगी, भूमि का शुल्क परिशिष्ट में निर्धारित दर से देय होगा।

(12) *lkotfud ekxk ij vfrNktu d lc/k e%&*

1. किसी सार्वजनिक मार्ग पर जो चौड़ाई में 4 मीटर से कम हो, कोई बरसाती बोर्ड, धूप से बचने के लिये पर्दे, दुकान के बोर्ड, धुप से बचने के लिए पर्दा या दुकान का बोर्ड या किसी अन्य अतिछाजन के लिये स्वीकृति नही दी जायेगी।
2. ऐसे मार्गो पर जो चौड़ाई में 4 मीटर से कम न हो, बरसाती बोर्ड, धूप से बचने के लिए पर्दे, दुकान के बोर्ड जो चौड़ाई में 0.75 मीटर से अधिक न हो, लगााने की स्वीकृति दी जा सकेगी।

3. बरसाती बोर्ड, धूप से बचने के लिये पर्दे आदि मकान के फर्श से या मार्ग के धरातल से ढाई मीटर से कम ऊचाँई पर नही लगाएँ जायेगे।
4. बरसाती बोर्ड, पर्दे, दुकानों के बोर्ड आदि अन्य अतिछाजनों के लिये शुल्क परिशिष्ट में निर्धारित दर से वसूल किया जावेगा जो अग्रिम भुगतान योग्य होगा।
5. ऐसे मार्गो में जो चौड़ाई में 10 मीटर से अधिक हो बरसाती बोर्ड, धूप से बचने के लिये परदा, दुकानों के बोर्ड इत्यादि जो चौड़ाई मे डेढ मीटर से अधिक न हो लगाने की स्वीकृति दी जा सकेगी।

(13) *[kkep okyk] etek yxku okyk }kjk Hkfe dk mi;kx%&*

नगर निगम में निहित भूमि रास्ते आदि पर खोमचे वाले, मजमा लगाने वाले आदि द्वारा अनुज्ञा प्राधिकारी से परिशिष्ट में निर्धारित शुल्क के अग्रिम भूगतान पर अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जावेगा। किसी खोमचे वाले या मजमे लगाने वालो को जिसे अनुज्ञा पत्र प्रदान किया गया हो सामान के विक्रय किये जाने हेतु किसी एक स्थान पर अधिक देर तक ठहरने नही दिया जावेगा और उसको किसी भी दशा में गलियो में जहॉ सवारियों व पशुओं का आवागमन अधिक हो और जिसकी चौडाई 6 मीटर से कम हो, नही ठहरने दिया जाऐगा।

(14) *vuKkif=r Hkfe vgLrkrj.kh; gkxh%&*

1. कोई भी व्यक्ति जिसने इन उपविधियों के अंतर्गत अस्थाई अधिभोग या अतिछाजन के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है, वह ऐस भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को न तो किराया या पट्टे पर दे सकेगा और नही उसे किसी भी रूप से हस्तांतरित कर सकेगा। भूमि का उपभोग अन्यथा नही किया जावेगा।
2. अनुज्ञाधारी द्वारा खण्ड (1) उल्लेखित प्रावधानों का उल्लघंन करने पर अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र निलबिंत या निरस्त किया जा सकेगां।
3. अनुज्ञा पत्र प्रत्येक अवस्था में अहस्तांतरणीय होगा।

(15) *vuKk ikf/kdkjh dh fu;qfDr%&*

1. उप विधियों के प्रयोजनार्थ मुख्य नगरपालिका अधिकारी अनुज्ञा प्राधिकारी होगें
2. इन उप विधियों के भली प्रकार क्रियान्वयन हेतू अनुज्ञा प्राधिकारी समय समय पर आवश्यक निर्देश प्रसारित करने हेतु सक्षम होगें।

(16) *vihy%&*

इन उपविधियों के अंतर्गत अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा दी गई किसी भी आज्ञा के विरूद्ध आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में निगम के समक्ष अपील की जा सकेगी तथा निगम का निर्णय अंतिम होगा।

(17) *le>kSrk%&*

इन उपविधियों के अंतर्गत होने वाले किसी भी दोष के लिए राजस्थान नगर निगम अधिनियम 2009 के उपबंधो के अनुसार समझौता किया जा सकेगा।

(18) *'kfDr;k%&*

1. यदि कोई अनुज्ञाधारी इन उपविधियों के उपबंधो के विपरीत आचरण या कार्यवाही करेगा अथवा अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों की अवहेलना

करेगा या भूमि का उपयोग अन्यथा करता हुआ पाया जावेगा तो इन उपविधियों में र्निधारित शास्ति के अतिरिक्त उसका लाइसेंस किसी भी समय निलंबित किया जा सकेगा परन्तु ऐसा किए जाने से पूर्व अनुज्ञाधारी को स्पष्टीकरण का यथोचित अवसर प्रदान किया जावेगा।

2. नगर निगम किसी भी समय अनुज्ञाधारी इन उपविधियों को सामान्यतयाः एक माह तथा विशिष्ट परिस्थितियों में यथोचित समय का पूर्व नोटिस देकर भूमि को रिक्त करवा सकेगा। अनुज्ञाधारी द्वारा निर्दिष्ट समय में भूमि रिक्त नही किए जाने पर वह अतिक्रमणकारी समझा जावेगा तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। भुमि को रिक्त कराये जाने में होने वाले व्यय की वसूली ऐसे अतिक्रमणकारी समझा जावेगा तथा उसके विरूद्ध नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 245 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
3. इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लघंन के दोषी व्यक्ति को उसके दोषी ठहराये जाने पर उसके प्रथम दोष के लिए ऐसी शास्ति जो 1000 रू से कम नही होगी तथा उसके पश्चात वह प्रत्येक अनुवर्ती दोष के लिए प्रतिदिन 50 रू तक के अर्थ दण्ड का भागी होगा।

(19)

इन उपविधियों के प्रभावशील होने पर पूर्व में नगर निगम द्वारा जारी समस्त लाईसेंस जो कि अस्थायी अधिभोग/अतिछाजन हेतू दिये हूए है निरस्त समझे जावेगें।

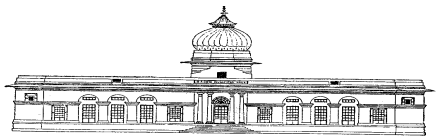

बीकानेर नगर निगम

i|i=

अस्थाई अधिभोग/अतिछाजन हेतु लाइसेंस प्राप्त करने का
प्रार्थना पत्र

सेवामें,

श्रीमान् अनुज्ञा प्राधिकारी महोदय,
बीकानेर नगर निगम

विषयः—नगर निगम में निहित भूमि, मार्ग नाली , नहर, आदि पर अस्थाई अधिभोग/अतिछाजन हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने के विषय में।

महोदय,

मै/हम...पुत्र...निवासी............. ....मौहल्ला...नगर निगम बीकानेर में निहित निम्नांकित विवरण की भूमि मार्ग, नाली, नहर जो सलंग्न मानचित्र में स्पष्टतया निर्दिष्ट है.. अस्थाई अधिभोग/अतिछाजन के लिए...तक के लिए (अवधि) निम्नांकित उपयोग हेतु अनुज्ञापत्र प्राप्त करना चाहता हूँ/चाहते है।

कृपया निर्धारित शुल्क लेकर लाइसेंस प्रदान करें। मै/हम बीकानेर नगर निगम (अस्थाई अधिभोजन एवं अतिछाजन) उप विधियॉ सन् 2010 के उपबंधो से सदैव आबद्ध रहॅगा/रहेगें।

भूमि का विवरण—भूमि की स्थिति (Location)

1. मौहल्ला
2. रास्ता
3. सीमा—पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
4. नाप— पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण

दिनॉकः—

vkond d gLrk{kj
uke o irk

ifjf'k"V

d l	fooj.k	'kYd nj
1.	सामान अथवा मलबा आदि जमा करने हेतु	30रू / प्रतिवर्गफुट प्रतिमाह
2.	दरवाजे, पण्डाल व अन्य अस्थाई निर्माणों के लिए	50पैसा / प्रतिवर्गफुट
3.	फल, सब्जी आदि विक्रेताओं द्वारा अस्थाई अधिभोग	10रू / प्रतिदिन
4.	सिनेमा, प्रदर्शनी तमाशा आदि मनोरंजन कार्यो के लिए सर्कस	50 पैसा / प्रतिवर्ग फुट 50 पैसा / प्रतिवर्ग फुट
5.	दुकानों व भवनो के आगे की भूमि	5रू / प्रतिवर्ग फुट प्रतिदिन
6.	अतिछाजन के लिये	5रू / प्रतिवर्ग फुट प्रतिदिन
7.	खौमचे वालों के लिये 1. साइकिल ठेला 2. खौमचे वाले दुकानदार	 5रू / प्रतिदिन 5रू / प्रतिदिन